


25.03.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। वादीया व उनके नियुक्त अधिवक्ता को विधिवत तीन बार आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादीया स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हाजिर नहीं आये। उभयपक्ष लम्बे समय से प्रकरण में अनुपस्थित चल रहे हैं।

अतः वादीया के वादपत्र, को वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला (भीलवाडा) राज.

